कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

आदेश संख्या–16/2020 दिनांक सितम्बर 28, 2020

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश पीलीभीत द्वारा पारित आदेश संख्या–356/2020 दिनांक सितम्बर 28, 2020 के प्रस्तर–1 में सम्प्रेक्षित किया गया है–

1–जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 28.09.2020 के अनुसार दिनांक 25.09.2020 को श्री जगदीश प्रसाद वर्मा अभियोजन अधिकारी कोर्ट नं0–1 कोरोना पाजिटिव पाये गये तथा न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन कार्य करने की संस्तुति की गयी है। अपर निदेशक अभियोजन, पीलीभीत द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 28.09.2020 के द्वारा भी उपरोक्त अभियोजन अधिकारी को कोरोना पाजिटिव पाये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है। अध्यक्ष सिविल बार एसोसियेशन पीलीभीत द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 28.09.2020 द्वारा भी श्री जगदीश प्रसाद वर्मा अभियोजन अधिवक्ता के कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण बार परिसर एवं न्यायालय परिसर को सैनेटाइज करने एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII&CPC/e-Courts/ Allahabad Dated:03.06.2020 के प्रस्तर–15 में निम्न लिखित दिशा निर्देश निर्गत किये गये है–

3–15–Where the District Adminitration/ CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/ or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period then the District Court/ Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specifice reasons may be sent to Allahabad High Court.

4–माननीय जनपद न्यायाधीश पीलीभीत द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के द्वारा जिला न्यायालय परिसर पीलीभीत को दिनांक 29.09.2020 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया गया है।

5–उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तथा अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीलीभीत जिला न्यायालय परिसर पीलीभीत में स्थित नव निर्मित छः कक्षीय न्यायालय कक्ष भवन में स्थित है उक्त को भी उक्त दिनांक को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जायेगा।

6–उक्त तथ्यों के आलोक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तथा अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीलीभीत को दिनांक 29.09.2020 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है।

7–नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय पीलीभीत की. बेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

8–सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश को दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशन एवं अन्य

प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

9–समस्त सम्बन्धित सूचित हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

10–परिवारिक न्यायालयों में दिनांक 29.09.2020 को लम्बित समस्त वादों, अर्जेन्ट प्रकृति के वादों के,अतिरिक्त सामान्य तिथि नियत की जायेगी।

11–पारिवारिक न्यायालयों में दिनांक 29.09.2020 को आदेश व निर्णय हेतु नियत वाद न्यायालय के खुलने के दिनांक 30.09.2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

दिनांक सितम्बर 28, 2020

Sanjeev Shukla
(संजीव शुक्ला)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

पत्रांक 17 /प्रशा0–2020 दिनांकित:सितम्बर 28,2020

1– अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीलीभीत। 28/9
2– जिलाधिकारी पीलीभीत।
3– पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
4– अधीक्षक जिला कारागार, पीलीभीत।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत।
6– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
7– अध्यक्ष/सचिव, जिला संयुक्त बार ऐसोसियेशन, पीलीभीत।
8– अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार ऐसोसियेशन, पीलीभीत।
9– अध्यक्ष/सचिव, जिला सेन्ट्रल बार ऐसोसियेशन, पीलीभीत।

दिनांक सितम्बर 28, 2020

Sanjeev Shukla
(संजीव शुक्ला)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।